रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--26 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—26

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23052026-272818
CG-DL-W-23052026-272818

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 23—मई 29, 2026 (ज्येष्ठ 2, 1948)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23—MAY 29, 2026 (JYAISTHA 2, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	309
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	507
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	705
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	1529
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	3837
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	309
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	507
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	705
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1529
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	3837
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2026

सं. 9-17/2025-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत के. पलानीअप्पा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा रथिनम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, रथिनम टेकजोन, पोल्लाची रोड, ईचनारी, कोयंबटूर के नाम से सामान्य श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 16.06.2025 के अपने पत्र संख्या 10-9/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी विनियम, 2023 के अनुसार इसकी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से आवेदन की जांच की गई थी। समिति ने कुछ सुझावों के साथ रथिनम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, रथिनम टेकजोन, पोल्लाची रोड, ईचनारी, कोयम्बटूर के नाम से संस्थान को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा (सामान्य श्रेणी) प्रदान करने की सिफारिश की थी। सुझावों में से एक प्रस्तावित सम-विश्वविद्यालय संस्थान के नाम पर एक अलग गैर-लाभकारी सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी बनाने का था।

4. और आगे जबकि, प्रस्तावित सम-विश्वविद्यालय को संचालित करने के लिए प्रायोजक निकाय द्वारा रथिनम ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से एक अलग गैर-लाभकारी कंपनी बनाई गई थी। समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 14.05.2025 को आयोजित अपनी 590वीं बैठक (मद संख्या 2.11) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतदद्वारा रथिनम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयंबटूर को रथिनम ग्लोबल, ईचनारी, कोयंबटूर, तमिलनाडु को सामान्य श्रेणी के तहत एक सम-विश्वविद्यालय घोषित करता है। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:—

i. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख़्ती से पालन किया जाएगा।

ii. रथिनम ग्लोबल फाउंडेशन यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए निम्नलिखित सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा:—

(क) संकाय सदस्यों को अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने और विश्व स्तर पर संकाय विकास, विनिमय कार्यक्रमों और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा और सहायता प्रदान की जाएगी।

(ख) चिकित्सा प्रतिपूर्ति और चिकित्सा बीमा सुविधाओं के साथ 7 वां वेतनमान शुरू किया जाएगा।

(ग) एचईआई की बेहतर अनुसंधान संस्कृति के लिए पीएचडी और सेमिनार/सम्मेलन के लिए प्रारंभिक राशि को सुदृढ़ किया जाएगा।

(घ) इस उद्देश्य के लिए एक पूर्णकालिक समर्पित टीम की प्रतिनियुक्ति करके एचईआई के परिसर के भीतर चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

(ङ) संस्थानों की सभी बुनियादी सुविधाओं को 'दिव्यांगजनों (विशेष रूप से सशक्त)' के अनुकूल बनाया जाएगा।

(च) अकादमिक-उद्योग और विदेशी विश्वविद्यालय सहकार्यता को बढ़ाया जाएगा।

iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।

iv. रथिनम ग्लोबल, कोयंबटूर, तमिलनाडु किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।

v. रथिनम ग्लोबल, कोयंबटूर, तमिलनाडु में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।

vi. रथिनम ग्लोबल, कोयंबटूर, तमिलनाडु अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।

vii. रथिनम ग्लोबल, कोयंबटूर, तमिलनाडु समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।

viii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और रथिनम ग्लोबल, कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।

ix. रथिनम ग्लोबल, कोयंबटूर, तमिलनाडु यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को संगम ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन /नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।

x. रथिनम ग्लोबल, कोयंबटूर, तमिलनाडु यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।

xi. रथिनम ग्लोबल, कोयंबटूर, तमिलनाडु इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

xii. रथिनम ग्लोबल, कोयंबटूर, तमिलनाडु को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रदर्शित हों और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएगा।

पूर्णेंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 5th May 2026

No. 9-17/2025-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, an online application was submitted by K. Palaniappa Memorial Educational Trust for conferment of Institution deemed to be University status under general category to Rathinam College of Arts and Science, Rathinam Techzone, Pollachi Road, Eachanari, Coimbatore in the name of Rathinam Global, Eachanari, Coimbatore, Tamil Nadu under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And whereas, UGC, vide letter No. 10-9/2024 (CPP-I/DU) dated 16.06.2025, informed that the application was examined through its Expert Committee as per the UGC Regulations, 2023. The Committee recommended for conferment of Institution deemed to be University status (general category) to Rathinam College of Arts and Science, Rathinam Techzone, Pollachi Road, Eachanari, Coimbatore in the name of Rathinam Global, Rathinam Techzone, Pollachi Road, Eachanari, Coimbatore, Tamil Nadu with certain suggestions. One of the suggestions was to create a separate not-for-profit Society/Trust/Company in the name of proposed Institution deemed to be University.

4. And further whereas, a separate not-for-profit Company was created by the sponsoring body in the name of Rathinam Global Foundation to run the proposed deemed to be University. The recommendations of the Committee were considered and approved by the Commission in its 590th meeting (item No. 2.11) held on 14.05.2025.

5. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Rathinam College of Arts and Science, Coimbatore as an Institution deemed to be University under general category in the name of Rathinam Global, Eachanari, Coimbatore, Tamil Nadu. The said declaration is subject to the following conditions:—

i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.

ii. The Rathinam Global Foundation shall ensure compliance of the following suggestions given by the UGC Expert Committee:—

   a) Faculty members shall be motivated and assisted to undertake research projects and attend faculty development, exchange programmes and other academic activities globally.

   b) 7th Pay Scale with medical reimbursement and medical insurance facilities shall be introduced.

   c) Seed Money for Ph.D. and Seminar/conference shall be strengthened for better Research culture of the HEI.

   d) Medical Facilitates within the premises of the HEI shall be extended by deputing a full-time dedicated team for the purpose.

   e) All infrastructural facilities of the institutions shall be made ‘Divyagjan (specially-abled)’-friendly.

   f) Academia-industry and Foreign University collaborations shall be enhanced.

iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.

iv. Rathinam Global, Coimbatore, Tamil Nadu shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

v. The academic programmes to be offered at Rathinam Global, Coimbatore, Tamil Nadu shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

vi. Rathinam Global, Coimbatore, Tamil Nadu shall align its courses with National Education Policy-2020.

vii. Rathinam Global, Coimbatore, Tamil Nadu shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.

viii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake

capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Rathinam Global, Coimbatore, Tamil Nadu.

ix. Rathinam Global, Coimbatore, Tamil Nadu shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to this Ministry and UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

x. Rathinam Global, Coimbatore, Tamil Nadu shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

xi. Rathinam Global, Coimbatore, Tamil Nadu shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

xii. Rathinam Global, Coimbatore, Tamil Nadu shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.05.23 10:26:55 +05'30'